

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामतेज शिल्पकार पुत्र गन्ने नि० फत्तेगढ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-146/21, 02. रामजी पुत्र मंगल प्रसाद नि० पम्पापुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-147/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रोहित कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र नि० महेश पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-80/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. माना पुत्र डूडे नि० खुसलीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-198/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश पुत्र रामप्रसाद गौतम नि० वीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-171/21, 02. श्रीपाल पुत्र रामधीरज निवासी नरायनपुर कला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-172/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मोहन पुत्र बच्चू सोनकर निवासी सोहनी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-178/21, 02. विजय पुत्र बाबूराम निवासी खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-179/21, 03. पाटनदीन पुत्र रामफेर निवासी कर्दा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-180/21, 04. रवि यादव पुत्र बासुदेव यादव निवासी पहली थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-181/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 05. रामभवन पुत्र अमर सिंह निवासी चढौवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे

से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-182/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विशाल पुत्र शिव चन्दर नि० बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-139/21, 02. विनोद कुमार पुत्र रामलुटावन नि० चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-140/21, 03. रामकुमार पुत्र बुधराम नि० बादलपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सावित्री पत्नी पेशकार सोनकर नि० भदवा सोमवंशी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-212/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रमेश निषाद पुत्र रामदेव नि० मल्लाहन पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-147/21, 02. सन्तराम पुत्र बिरजू नि० नवडिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती रजवन्ता पत्नी शोभाराम नि० नयनजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/21, 02. श्यामू पुत्र दिलजान नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-158/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुशीला पत्नी बडकउ नि० बगिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-110/21, 02. राजपति पत्नी स्व० हेमराज नि० सरजूपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-111,/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 03. मिनकादेवी पत्नी स्व० झिनकन नि० बगिया गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-112/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संदीप निषाद पुत्र सहदेव नि० ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-85/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

12. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मकसूद पुत्र मुसीबत नि० मेवतियान थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-401/21, 02. सुरेन्द्र सोनकर पुत्र गंगाराम नि०

रानीपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-403/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

13. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. नीरज पुत्र बडकउ नि० करमडीह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-137/21, 02. आरती देवी पत्नी शिवराज नि० पचपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-138/21, 03. गोली चमरमंगता पुत्र रंगे नि० ग्राम जमुनही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-139/21, 04. आज्ञाराम पुत्र राम लोटन कुम्हार नि० ग्राम मेहनौन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-140/21, 05. अवतारी पत्नी धनीराम बरुवार ग्राम दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/21 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.05.2021

चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का समान व अवैध मादक पदार्थ बरामद –

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरोध्वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 03 नफर अभियुक्तों को सरकुलर रोड बुधईपुरवा मोड के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 320 ग्राम अवैध चरस, 92 टेबलेट अल्प्राजोलम तथा चोरी के मुकदमों से संबंधित 09 अदद पायल, 09 अदद बिछिया सफेद धातु व चोरी करने के उपकरण बरामद किया गया। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राजू उर्फ दस टयरा पुत्र शरीफ नि० नई बस्ती महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. टेनी उर्फ सोनू पुत्र मुन्ना नि० मुन्नन खों चौराहा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. परवेज पुत्र लिल्लाही थाना कासीराम कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-404/21, धारा 401,411 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-405/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-406/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०-407/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु०अ०सं०-923/20, धारा 457,380 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-243/21, धारा 457,380 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कृष्ण कुमार सिंह।
02. उ०नि० गोपाल सिंह।
03. उ०नि० मुकेश पाण्डेय।
04. उ०नि० सरफराज खान मय टीम।